



Neutral Citation No. - 2026:AHC:177953

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 4151**

**सन् 2026**

एक्स किशोर

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

---

|                          |   |                                  |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| आवेदक (गण) के अधिवक्ता   | : | नरेंद्र कुमार, योगेंद्र पाल सिंह |
| विपक्षी (गण) के अधिवक्ता | : | शासकीय अधिवक्ता                  |

---

**न्यायालय संख्या- 71**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला**

1. इस न्यायालय ने दिनांक 30.04.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार यादव और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और उन्होंने समय मांगा है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अंतरिम अग्रिम ज़मानत की मांग कर रहे हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 123 सन् 2026, के अंतर्गत धारा 352, 351(3), 109(1) भारतीय दंड संहिता, थाना- लोहिया नगर, ज़िला- मेरठ में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

5. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक कानून के दायरे में आने वाला एक किशोर है। दिनांक 12.03.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप है कि दिनांक 11.03.2026 को चार लोग मोटरसाइकिल से आए और सूचनाकर्ता की दुकान के काउंटर में टक्कर मार दी। वहां कुछ कहा-सुनी हुई। बाद में वे चारों लोग फिर वहां आए और सूचनाकर्ता पर गोली चला दी। सूचनाकर्ता सूचनादाता बाल-बाल बच गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद तीनों अभियुक्तों को पहले ही पकड़ा जा चुका है। आवेदक के बयान से ही कानून के दायरे में आने वाले उस किशोर का नाम सामने आया है। इस प्रकरण में किसी को चोट नहीं आई है। आवेदक को गिरफ्तारी का डर है, हालांकि वह विवेचना में सहयोग करना चाहता है। इसलिए, वह अंतरिम अग्रिम जमानत की मांग कर रहा है।

6. अग्रिम जमानत का दायरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन अहम फैसलों में बताया गया है: गुरुबखश सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य जो (1980) 2 एससीसी 565 में प्रकाशित है, सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य जो (2011) 1 एससीसी 694 में प्रकाशित है, और सुशीला अग्रवाल व अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) व अन्य जो (2020) 5 एससीसी 1 में प्रकाशित है, इन फैसलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करते समय, न्यायालय को आवेदक के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए गिरफ्तारी के खतरे या आशंका का मूल्यांकन आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास, झूठा या बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए आरोप, अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता, अभियुक्त की विवेचना एवं विचारण में सहयोग करने की इच्छा तथा अभियुक्त के आचरण एवं फरार होने के जोखिम जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. यह अदालत प्रकरण में दलीलों, आरोपों की गंभीरता और गिरफ्तारी की आशंका के साथ-साथ अभियुक्त के भागने का कम जोखिम और विवेचना एवं विचारण में सहयोग



करने के उसके आश्वासन पर विचार करते हुए, उसे अंतरिम जमानत देने के विचार पर सहमत है।

8. उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- X (किशोर) को इस आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय या विवेचना अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। उसे अगली तारीख तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार 25,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि का दो जमानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय से छूट मिलने के अलावा, तय तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(v) आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत मिलने के कारण विवेचना अधिकारी के सामक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

9. किसी भी शर्त का पालन न होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को निरस्त कराने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. इस प्रकरण को दिनांक 17.07.2026 को सूचीबद्ध करें।

11. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली तारीख तक निर्देश प्राप्त कर लें।"



2. आज, जब प्रकरण की सुनवाई शुरू हुई, तो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने बताया कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पहले के आदेश में दर्ज अपनी दलीलों को फिर से दोहराया।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने ज़मानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, लेकिन वे न तो आवेदक के किसी आपराधिक इतिहास का ज़िक्र कर पाए और न ही आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई तथ्यों से जुड़ी दलीलों का खंडन कर सके।
5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है। जिस अपराध की बात हो रही है, उसमें कोई साफ़ चोट नहीं आई है। आवेदक इस न्यायालय के आदेश पर अंतरिम अग्रिम ज़मानत पर है और ऐसा नहीं कहा गया है कि उसने मिली आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया है। आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। अब आवेदक को किसी भी हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए आवश्यकता नहीं है।
7. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की गंभीरता, सबूतों की प्रकृति, प्रकरण की कुल परिस्थितियों और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास न होने को ध्यान में रखते हुए, अग्रिम ज़मानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।
8. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, मैं इस न्यायालय के पिछले आदेश दिनांक 30.04.2026 के माध्यम से आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।
9. आवेदक का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
10. अगर **आवेदक एक्स किशोर** को गिरफ़्तार किया जाता है, तो उसे मुकदमा अपराध संख्या 123 सन् 2026, धारा 352, 351(3), 109(1) बीएनएस, थाना- लोहिया नगर, ज़िला- मेरठ में, दिनांक 30.04.2026 के आदेश उल्लिखित समान नियमों एवं शर्तों पर अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

21 अगस्त, 2026

सचिन

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।